ड्राफ्ट टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 पर ISPAI द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर प्रति-टिप्पणियां

fea1-div < fea1-div@trai.gov.in >

Upbhokta Sanrkshan Samiti Sangaria < usssangaria@gmail.com >

Fri, 08 May 2026 4:47:03 PM +0530

To "fea1-div"<fea1-div@trai.gov.in>,"Trai Regional office, Jaipur" <traijaipur@gmail.com>

श्रीमानजी,
ISPAI द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों में मुख्य रूप से TSPs की संचालन संबंधी सुविधा एवं निवेश संबंधी चिंताओं पर बल दिया गया है। जबकि TRAI द्वारा प्रस्तावित संशोधन पूर्णतः उपभोक्ता हित में है तथा उन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है जिन्हें डेटा सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान तकनीकी युग में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) के लिए अधिक संख्या में टैरिफ प्लान बनाना एवं उनका प्रबंधन करना कोई कठिन कार्य नहीं है। आधुनिक डिजिटल बिलिंग एवं प्लान प्रबंधन प्रणाली विभिन्न प्रकार के प्लानों को आसानी से संचालित करने में सक्षम हैं। इसके विपरीत, अधिक विकल्प उपलब्ध होने से उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लान चुनने की सुविधा मिलेगी तथा TSPs के लिए भी नए व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होंगे।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक, ग्रामीण उपभोक्ता, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेसिक मोबाइल उपयोगकर्ता मुख्य रूप से केवल वॉइस कॉल एवं SMS सेवाओं का उपयोग करते हैं और उन्हें डेटा सेवाओं की आवश्यकता बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। ऐसे उपभोक्ताओं को डेटा सहित बंडल प्लान खरीदने के लिए बाध्य करना उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालता है।

यह तर्क कि वर्तमान बंडल प्लानों में “सीमित डेटा” पहले से उपलब्ध है, उपभोक्ताओं की वास्तविक चिंता का समाधान नहीं करता। उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक आवश्यकता एवं उपयोग के अनुसार सेवाएं चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। Voice + SMS-only प्लानों की उपलब्धता से सस्ती एवं समावेशी दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

यह कहना भी पूर्णतः उचित नहीं है कि अनुपातिक मूल्य निर्धारण (proportional pricing) लागू करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। दूरसंचार टैरिफ पहले से ही आंतरिक लागत, बाजार की मांग तथा उपभोक्ता वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए डेटा घटक को हटाकर उचित एवं अनुपातिक दर पर Voice + SMS-only प्लान उपलब्ध कराना पूरी तरह संभव है।

प्रस्तावित विनियम बंडल प्लानों पर रोक नहीं लगाता तथा न ही टैरिफ निर्धारण की स्वतंत्रता समाप्त करता है। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि जिन उपभोक्ताओं को डेटा सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अनावश्यक रूप से डेटा सेवाओं के लिए भुगतान न करना पड़े।
अतः यह विनम्र निवेदन है कि उपभोक्ता हित, पारदर्शिता, सस्ती सेवाओं एवं उपभोक्ता विकल्पों को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान प्लानों के समान वैधता वाले Voice + SMS-only प्लान, डेटा घटक में अनुपातिक कटौती के साथ, अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं।

भवदीय
संजय आर्य
अध्यक्ष
उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया
जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
पंजीकृत उपभोक्ता समूह
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण